



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / IV निगरानी / भिण्ड / भू.रा. / 2018 / 1954

प्रदेश प्रशासन कक्ष  
22-3-18  
204-18  
रु.  
22-3-18

पुदीय निगरानी  
Bhram

मुन्नालाल पुत्र स्व. चिंतामन आयु 40 साल  
जाति कुशवाह व्यवसाय कृषि/पूजा अर्चना  
करना निवासी ग्राम मेहरा बुजुर्ग तहसील  
लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

अनिल कुमार पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा  
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अजनार परगना  
लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश  
दिनांक 20.03.18 न्यायालय माननीय अपर कलेक्टर भिण्ड  
न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0017/अपील/17-18 में पारित  
आदेश दिनांक 20.03.2018

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-



1. यहकि, मंदिर श्री महादेव जी स्थित मौजा अजनार पर अपीलांट के पिता चिंतामन पुत्र परसुराम पुजारी का कार्य कर रहे थे वह व्यवस्थानुसार मंदिर के पुजारी थे और निरंतर सेवा पूजा कर रहे थे उनकी वृद्धावस्था होने से अपीलांट उनके साथ मंदिर की सेवा पूजा का कार्य पुजारी का कार्य करता रहा जिसका पूजा अर्चना

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/1954

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक <del>27-3-19</del> को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक</p> 	 <b>प्रशासकीय सदस्य</b>